दिनांक **28.01.2019** को माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–वित्त वाणिज्य–कर मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी को वित्तीय वर्ष **2019-2020** के लिए बिहार चैम्बर ऑफ कॉमस एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से समर्पित ज्ञापन

उद्योग से संबंधित मुद्दे

1 **उद्योग विभाग के बजट में समुचित आवंटन/बृद्धि**

राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने प्रत्येक 5 वर्षो के अंतराल पर औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के द्वारा निवेशकों को राज्य में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया है। प्रत्येक वर्ष प्रोत्साहन नीति के अन्तगर्त उद्योगों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि की बजट में व्यवस्था की जाती है। पिछले वर्ष 2018-19 में बजट में किया गया आवंटन (Rs. 650 crore) वर्ष 2017-18 में की गयी आवंटन राशि (Rs 843.26 crore) की अपेक्षा कम था और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहन राशि की रकम प्राप्त नहीं हो सकी।

हमारा सुझाव होगा कि वर्ष 2019-20 के लिए बजट में उद्योग विभाग को 2017-18 की आवंटित राशि को मद्देनजर रखते हुए समुचित बृद्धि की जानी चाहिए ताकि दावों के निपटारे ससमय किये जा सके।

उद्योग विभाग द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सब्सिडी/अनुदान राशि जैसे Interest Subvention, वैट प्रतिपूर्ति/ जी. एस. टी. प्रतिपूर्ति, खाद्य प्रसंस्करण नीति के अंतगर्त दिये जानेवाले अनुदान, पी.एम.ए. को दी जानेवाली फीस, पूंजीगत अनुदान, D.G. Set अनुदान, Captive Power Plant अनुदान, AMG/MMG तथा Electricity Duty मद में दिए जाने वाला प्रतिपूर्ति, कृषि यंत्र नीति के अंतगर्त दिए जानेवाले अनुदान, Venture Fund, लैण्ड बैंक स्थापना हेतु एवं Industrial Development Fund ने व्यवसाय को मजबूत आर्थिक आधार दिया है। अतः इन मदों के अंतगर्त राज्य सरकार द्वारा 2019-20 के बजट में कुल 2000 करोड़ रूपये का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है।

क्रमशः.....2

2. **औद्योगिक विकास निधि के गठन के लिए बजट का प्रावधान**

औद्योगिक विकास से जुड़े विभिन्न प्रकार के आधारभूत संरचना के विकास, सीड कैपिटल की उपलब्धता, उद्यमियों को अपने उद्यम को उन्नयन करने (upgradation to next level of enterprise) एवं Bankruptcy Act के तहत आनेवाले Micro, Small & Medium उद्योगों को पुर्नजीवित करने हेतु सहयोग राशि के लिए हमारी सरकार से मांग है कि 1000 करोड़ रूपये की राशि से औद्योगिक विकास निधि का गठन किया जाये और एक वर्ष में पूरी रकम की व्यवस्था की असुविधा को मद्देनजर रखते हुए प्रत्येक वर्ष 250 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जाये जिसकी शुरूआत 2019-20 से करनी चाहिए।

3. **बैंकों का नकारात्मक रवैया:–**

राज्य में राष्ट्रीयकृत अथवा निजी व्यापारिक बैक ऋण देने में काफी उदासीन भावना रखते हैं क्योंकि उनको ऐसी आशंका रहती है कि राज्य में अवस्थित किसी भी उद्योग को दिये जाने वाला ऋण का वापस भुगतान प्राप्त नही होगा। इस नकारात्मक दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। राज्य में स्थित बैंक सिर्फ जमा एकत्र करने के केन्द्र के रूप मे विकसित हो रहे हैं, उन्हे राज्यहित में ऋण देने के कार्य में कोई दिलचस्पी नही है ।

फलस्वरूप, राज्य में CD Ratio राष्ट्रीय औसत से काफी कम है और राज्य में जमा धनराशि का प्रयोग इन बैकों द्वारा अन्य राज्यों में ऋण देने में किया जा रहा है । सरकार को रिजर्व बैक अथवा अन्य माध्यम से इन बैकों पर दबाव बढ़ाकर राज्य में ऋण के प्रवाह को बढ़ाना चाहिए, और असहयोगात्मक रवैया अपनाने वाले बैंकों को सरकारी जमा से वंचित किया जाना चाहिए ।

4. **उद्योग के भूमि के संबंध में :–**

i. विगत कुछ वर्षो में राज्य सरकार ने विभिन्न श्रेणी के अपने भूखंड के MVR का पुर्ननिरीक्षण करते हुए भूखंड की दरें निर्धारित की है । औद्योगिक भूखंड के लिए अलग से कोई MVR की दर निर्धारित नहीं है । उक्त परिपेक्ष में हमारा सुझाव है कि औद्योगिक भूखंड का अलग वर्गीकरण करते हुए अलग MVR का निर्धारण हो जो कृषि योग्य भूमि के लिए निर्धारित MVR के आस–पास हो ।

अभी हाल में उद्योग विभाग ने औद्योगिक भूमि का वर्गीकरण एवं मूल्यांकन के संबंध में एक प्रस्ताव निबंधन विभाग को भेजा है जिसमें औद्योगिक भूखंड के लिए निर्धारित होने वाले MVR को कृषि कार्य के लिए निर्धारित MVR का 1.5 गुणा निर्धारित किए जाने की अनुशंसा है । अतः इसका कार्यान्वयन यथाशीघ्र किया जाना चाहिए ।

ii. बिहार में उद्योगों की स्थापना में भूमि का अभाव एक प्रमुख समस्या है । इस संबंध में हमारा सुझाव है कि सरकार उद्योगों के लिए आवश्यक जमीन उपलब्ध कराने के लिए निम्नांकित कदम उठाए :–

क्रमशः.....3

– भूमि बैकों की स्थापना किया जाए ।

– बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि की खरीद के लिए उद्यमी एवं किसान के बीच सरकार Facilitator की भूमिका का निर्वहन करे ।

– अधिकाधिक इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना किया जाए ।

– राज्य सरकार द्वारा जगह–जगह पर इलाकों की चिन्हित कर इसकी घोषणा की जानी चाहिए कि यह जमीन केवल औद्योगिक उपयोग के लिए ही होगा जिससे कि Promoter एवं जमीन मालिक आपसी समझौता से जमीन को औद्योगिक उपयोग के लिए सहजता से खरीद सकें ।

5. **सूचना प्रावैधिकी (IT):–**

सूचना प्रावैधिकी को स्वतंत्र उद्योग का दर्जा दिया जाना चाहिए और वर्ष 2019-20 में कम से कम 500 Cr का बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए।

राज्य में सूचना प्रावैधिकी को प्रोत्साहन हेतु सरकार ने राजगीर में आई.टी. पार्क, बिहटा में आई.टी. वीलेज एवं पटना में आई.टी. टावर बनाने का नीतिगत निर्णय लिया था लेकिन अभी तक इस दिशा में खास प्रगति नही हो पायी है। इस संबंध में सुझाव है कि बजट में इस हेतु प्रावधान किया जाये जिससे कि राज्य में आई. टी. उद्योग का विकास हो ।

100 करोड़ से अधिक के निविदा में किसी भी राज्य के बाहर अवस्थित कंपनियॉ/संस्था को दिए जानेवाले आवंटन के साथ यह शर्त्त रखी जाए कि वो अपने संस्थान का एक सहयोगी शाखा बिहार में रखें जिससे कि राज्य के स्थानीय युवाओं को रोजागर मिल सके ।

राज्य सरकार द्वारा दिए जानेवाले हर निविदा का 30% हिस्सा बिहार में अवस्थित स्थनीय आई. टी. से जुड़े संस्थाओं को दिया जाए जिससे कि आई. टी. के स्थानीय उद्यम का विकास हो और रोजगार का अवसर बढ़े ।

आज इन्टरनेट की उपयोगिता बहुत बढ़ गई है शहर हो या गॉव अथवा शैक्षणिक संस्थाएं हर जगह यह नितान्त आवश्यक हो गई है परन्तु हर जगह इन्टरनेट सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पा रहा है । इस संबंध में राज्य सरकार को भारत संचार निगम लिमिटेड अथवा अन्य निजी संचार ऑपरेटर से सम्पर्क करके यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जहॉ भी इन्टरनेट की सुविधा प्रदान की गयी है वह निर्बाध रूप से लोगों को उपलब्ध हो ताकि अधिकाधिक लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें ।

6. **चाय उद्योग के लिए अलग से प्रोत्साहन नीति तैयार किये जाने हेतु निवेदन**

बिहार के सीमांचल जिलों में बड़े पैमाने पर चाय की खेती हो रही है । इसलिए चाय उद्योग के लिए अलग से औद्योगिक प्रोत्साहन नीति होनी चाहिए ।

क्रमशः.....4

7. पर्यटन संबंधित

हमारे राज्य में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म के श्रद्धालुओं की रूचि को देखते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने की नितान्त आवश्यकता है और सरकार को इस दिशा में विशेष प्रयास करना चाहिए।

इस हेतु सरकार को बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को पर्याप्त राशि उपलब्ध करानी चाहिए, जिसके लिए बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए।

PPP mode पर विकसित करने हेतु नई–नई स्कीम दी जानी चाहिए।

8. राज्य में अवस्थित MSME उद्योगों को प्रश्रय एवं प्राथमिकता देने हेतु

सरकार को राज्य में अवस्थित MSME उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु एवं उन्हें राष्ट्रीय स्तर के उद्योगों से प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाने के उद्देश्य से नीति निर्धारण करने एवं उसका कार्यान्वयन करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में हमारे निम्न सुझाव पर विचार किया जाये:–

(i) निविदा प्रपत्र के शुल्क को फ्री किया जाये।

(ii) बयाना राशि जमा करने की वाध्यता से मुक्त किया जाये।

(iii) सिक्युरिटी डिपोजिट की राशि जमा करने की वाध्यता समाप्त की जाये।

(iv) निम्नतम quoted रेट पर राज्य में अवस्थित उद्योगों को 15% का prefrence दिया जाये।

(v) केन्द्राधिन PSU's की तर्ज पर राज्यान्तगर्त खरीद पर 25% की खरीद स्थानीय राज्य में अवस्थित उद्योगों से किया जाना चाहिए।

(vi) यदि किसी निविदा में सरकार की नीतिगत प्रावधानों का उल्लंघन होता है तो उतरदायित्व एवं दण्ड का प्रावधान किया जाए।

वैट से संबंधित मुद्दे

1. VAT/GST प्रतिपूर्ति के संबंध में

बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 / 2011 के अन्तर्गत उद्योगों को वैट प्रतिपूर्ति दिए जाने का प्रावधान है लेकिन 1 जुलाई 2017 से देश भर में वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने के पश्चात् GST की प्रतिपूर्ति का कोई फार्मूला अभी तक निर्धारित नहीं हो पाया है जिसके परिणामस्वरूप उद्योगों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है ।

क्रमशः.....5

ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि शायद सरकार की मंशा शुद्ध SGST की रकम जिसका भुगतान उद्योगों द्वारा नकद किया जाएगा उसी अनुरूप से प्रतिपूर्ति करने की है लेकिन बिहार जैसे राज्य में जहॉ अधिकतर कच्चा माल आयात होता है एवं जिसके लिए IGST का भुगतान किया जाता है अत: ऐसी परिस्थिति में मूल्य अभिवृदि के उपरान्त भी शुद्ध SGST की देय रकम काफी कम होगी और प्रतिपूर्ति की रकम भी नगण्य होगी तथा इसके कुल प्राप्त होनेवाली रकम 25 वर्षों में भी पूरी नहीं हो सकेगी ।

विभिन्न राज्यों के GST के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति फार्मूला का अध्ययन करने के पश्चात् हमारा सुझाव होगा कि या तो सरकार द्वारा महाराष्ट्र राज्य की तर्ज पर Gross SGST के आधार पर प्रतिपूर्ति देने का निर्णय लिया जाए अथवा मध्य प्रदेश का फार्मूला जो कि पिछले वर्षों के आधार पर मासिक औसत प्रतिपूर्ति की रकम (जो पूर्व में ली गई), GST की वर्तमान दर एवं जीएसटी के अन्तर्गत टर्न ओवर के आधार पर दिया जाएगा, उस पर भी विचार किया जा सकता है ।

2. Bihar Finance Act एवं VAT के पुराने लंबित मामलों के निपटारे हेतु One Time Settlement Scheme

GST के लागू होने के उपरांत पुराने Bihar Finance Act एवं VAT के अंतगर्त काफी समय से चले आ रहे लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे हेतु One Time Settlement Scheme announce की जानी चाहिए ताकि सरकार को राजस्व की प्राप्ती हो और करदाता को अनावश्यक परेशानियों को ना झेलना पड़े।

इस संदर्भ में हमारा सुझाव होगा कि पड़ोसी राज्य बंगाल की तर्ज पर 30% कर की रकम के भूगतान पर एवं ब्याज, लेट शुल्क, अर्थ दण्ड को पूरी तरह से माफ करके लंबित मामलों को निपटा दिया जाना चाहिए।

3. VAT के अन्तगर्त वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक विवरणी एवं TAR को फाईल करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाना चाहिए एवं 2017-18 की प्रथम तिमाही को ही वार्षिक विवरणी मानकर कार्रवाई को संपूर्ण कर दिया जाना चाहिए ।

4 **<u>Professional Tax के on line भूगतान के संदर्भ में</u>**

Professional Tax के on-line भूगतान की व्यवस्था नही होने की बजह से करदाता को उसके भूगतान में काफी परेशानी झेलनी पड़ती है अथवा कई बार भूगतान नहीं हो पाता है।

हमारा सुझाव होगा कि Professional Tax के On-line भुगतान की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। Professional Tax के भुगतान हेतु अलग से रजिस्ट्रेशन की वाघ्यता नही होनी चाहिए बल्कि इसे सिर्फ चालान जिसपर पैन/जीएसटीआइएन/टैन के विवरण के साथ जमा किये जाने की सुविधा दी जानी चाहिए।

क्रमश:.....6

विद्युत संबंधित मुद्दे

1 राज्य में बिजली की आपूर्ति एवं गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है एवं करीब–करीब राज्य के सभी भागों में बिजली की उपलब्धता बढ़ी है। जहाँ पहले अंधेरा रहता था वहाँ रौशनी रहने लगी है।

Rural एवं Domestic क्षेत्र में छोटे–छोटे उपभोक्ताओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, परन्तु इसके बावजूद DISCOMS के ARR के मुताबिक बिजली की दर काफी अधिक आती है । Rural, Domestic एवं अन्य उपभोक्ताओं को सरकार की ओर से सहायता (subsidy) मिलती है जिसके फलस्वरूप विद्युत दर में काफी राहत मिल जाती है और उचित दर पर बिजली उपलब्ध हो जाती है, उसी प्रकार से उद्योगों के लिए भी राहत दिया जाना चाहिए ।

2 वर्त्तमान में टैरिफ निर्धारण में इण्डस्ट्रीज के लिए line loss actual से काफी अधिक जोड़ा जाता है जबकि industries का line loss कम होता है एवं rural और domestic में काफी अधिक होता है।

ऐसी स्थिति में industry की उर्जा की दर काफी बढ़ जाती है । पिछले तीन–चार वर्षो में industry की बिजली की दर करीब 50% बढ़ गई है इसके अलावा KWH की जगह KVAH unit के रूप में charge करने से उपभोक्ताओं के बिल में chargeable unit 15 से 20% बढ़ गया है।

Industries को विद्युत का खर्च काफी अधिक वहन करना पड़ता है जिसके कारण Industries competitive नहीं रह पा रही है ।

3 राज्य में उद्योगों के विकास के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है कि बिजली की दर पड़ोसी राज्यों यथा झारखंड एवं पश्चिम बंगल के तुलनात्मक हो ।

झारखंड एवं पश्चिम बंगल में बिजली की दर कम होने से वहाँ से उत्पादित होकर वस्तुएँ काफी Quantity में बिहार में आ रही है।

इसलिए राज्य के उद्योगों के विकास के लिए यह आवश्यक है कि अन्य उपभोक्ताओं के भांति industries को भी सरकारी सहायता (विद्युत दर में subsidy) उपलब्ध कराने की आवश्यकता है ।

इस पर विचार किया जाए एवं उचित subsidy दिया जाये।

4 अभी वर्तमान में बिजली की दर दो पार्ट में है जिसमें कि Contract Demand और Consumed Power दोनों का अलग–अलग भुगतान देना पड़ता है । Contract Demand का रकम एक तरह से Fix Charge है । इसे खत्म करके सिर्फ Consumed Power का ही भुगतान लेना चाहिए जिससे कि Industry का बोझ कुछ कम हो सके ।

क्रमश:.....7

5 सरकार को Electricity Duty को कम करना चाहिए । इसे झारखंड की भांति 2 पैस प्रति यूनिट किया जाना चाहिए ।

अन्य मामले

1. **निर्मित भवन (अचल संपति) के निबंधन हेतु मूल्यांकन रकम के निर्धारण संबंधित**

सरकार द्वारा अचल संपति के निबंधन हेतु भूमि एवं निर्मित भवन (व्यवसायिक एवं घरेलू) की अलग–अलग लोकेशन/क्षेत्र के अनुरूप भिन्न–भिन्न सर्किल रेट निर्धारित की जाती है।

वर्त्तमान नियमों के तहत किसी भी निर्मित भवन (व्यवसायिक एवं घरेलू दोनों के लिए) के निबंधन हेतु उस भवन की लोकेशन के आधार पर सर्किल रेट से मुल्यांकन किया जाता है और साथ में भूमि के proportionate share की लागत अलग से जोड़ी जाती है। इस तरह एक बार भूमि की लागत निर्मित भवन की सर्किल रेट में सम्मिलित हो जाती है और दूसरी बार भूमि के proportionate share के रूप में दूबारा जुड़ जाती है।

विगत वर्षो में सर्किल रेट में कई–कई बार बढ़ोतरी होने के कारण ऐसा देखा जा रहा है कि अधिकांशत: किसी भी अचल निर्मित संपति के निबंधन हेतु मुल्याकंन रकम उसके वास्तविक क्रय रकम से अधिक हो जाती है जिसका प्रतिकूल प्रभाव क्रेता को आयकर नियमों के तहत भी झेलना पड़ता है।

देश भर में कहीं भी ऐसी व्यवस्था नही है जब कि भूमि की लागत अलग से जोड़ी जाती हो। यद्यपि proportionate share पर भी क्रेता का पूरा अधिकार होता है ।

हमारा सुझाव होगा कि भूमि पर क्रेता को proportionate share का अधिकार रखते हुए भूमि की लागत को मुल्यांकन रकम में अलग से नही जोड़ा जाना चाहिए।

2. **वाहनों पर पथ कर की दर**

हमारे राज्य में पड़ोसी राज्य की अपेक्षा पथ कर अधिक होने की वजह से बहुत बार क्रेता (विशेष कर महंगे वाहन के लिए) अपना वाहन दूसरे राज्य से खरीद लेते हैं। परिणामस्वरूप हमारे राज्य को उस बिक्री पर मिलने वाली SGST की रकम प्राप्त नही होती है। साथ ही साथ जब वो वाहन हमारे ही राज्य में अवस्थित सर्विस केन्द्र पर सर्विस सुविधा लेता है तो उस पर मिलने वाली GST की राशि हमारे राज्य को प्राप्त नही होती है क्योकि वाहन दूसरे राज्य के पत्ते पर निबंधित होता है।

अत: हमारा सुझाव होगा कि इसका उचित समाधान निकाला जाना चाहिए जिससे कि राज्य की आय जो दूसरे राज्य को जा रही है उसे रोका जा सके।

****